(घ) राज्य सरकारों ने 9 वीं योजना अवधि के दौरान देश की सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9149.12 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

Employment opportunities in Assam

1674. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for creation of employment opportunities for educated youths in Assam, particularly in its rural, tribal and hill areas;

(b) if so, the details in this regard and if not; the reasons therefor; and

(c) the total amount of expenditure to be incurred on implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOWDA PATIL): (a) to (c) Ministry of Rural areas and Employment is implementing the programmes, namely, Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) for generating employment opportunities in rural areas for people below poverty line throughout the country including tribal and hilly areas of Assam. In addition, Ministry of Industry is implementing Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY) for providing job opportunities for educated unemployed youth in rural areas including tribal and hilly areas.

The amount of expenditure incurred on implementation of these Schemes during the current year in Assam are indicated below:—

(Rs. in lakhs)

Name of the Scheme	Allocation	Expenditure incurred
JRY	8357.73	2735.23
MWS	1808.38	565.64
EAS	10035.00	6043.42
IRDP	10492.72	1027.67
DWCRA	1122.40	66.81
TRYSEM	647.42	49.89
TOOLKITS	424.42	85.08

Under PMRY no State-wise allocation of funds is made.

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु आबंटनों में कटौती

1675. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष, 1998-99 के बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आबंटनों में कटौती करने के लिए एक निर्णय लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल आबंटित धनराशि कितनी थी और उसमें से कुल कितनी धनराशि की कटौती करने का निर्णय लिया जा रहा है; और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) कुछ कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्य निष्पादन के आधार पर और इन एजेंसियों के पास खर्च न की गई राशि के संग्रह को देखते हुए आबंटन को 9900 करोड़ रुपये से घटाकर 9400 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आबंटन 500 करोड़ रुपये कम हो जायेगा।

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 8285.80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणों का प्रवास

1676. श्रीमत सरोज दुबे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रवास बढ़ने का एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:- जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लख कुंओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, और ट्राइसेम।

गांवों में पेयजल हेतु निधियों का दुरुपयोग

1677. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1985 से अब तक 15,229 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है लेकिन बासठ हजार गांवों में आज भी पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था का अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 3.78 लाख गांवों में भी यह व्यवस्था आंशिक रूप से की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस संबंध में निधियों का बहुत भारी मात्रा में दुर्विनियोजन किया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है। राज्य सरकारों द्वारा दिसम्बर, 1998 तक दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1985 से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 8390.48 करोड़ रुपये और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 11395.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार कुल 1430663 ग्रामीण बसावटों में से 1126258 ग्रामीण बसावटों को पूर्णत: और 260071 ग्रामीण बसावटों को आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष 44334 ग्रामीण बसावटें न कि गांवों को अभी स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की कुछ बसावटों को छोड़कर शेष सभी बसावटों को नौवीं योजना के अन्त तक कवर कर लिया जाएगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। बसावटों को कवर न कर पाने का कारण निधियों की कमी, मौके पर पर्याप्त स्रोतों की कमी और प्रशासनिक अड़चनें थीं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर निगरानी

1678. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰) के अंतर्गत दिए गए ऋणों और अनुदानों से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या इन ऋणों और अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई स्थायी निगरानी नेटवर्क है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त शीर्ष के अंतर्गत राजस्थान को कितनी निधियां उपलब्ध करायी गयी है और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या 57.20 लाख है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सहायता के समुचित और पूर्ण उपयोग के लिए निधियों के उपयोग के त्रैमासिक लक्ष्य रखे गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जा रही है। राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। केन्द्र स्तर पर इस मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्षेत्र अधिकारी योजना के जरिए निगरानी को मजबूत बनाने का प्रयास किया है जिसमें मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के क्षेत्र के दौरे करते हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारित